

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी
30/11/25	<p>पत्रावली पेशा इडी वकील वादी उपरिषद । साक्ष्यवादी मे वादी बापु, एवं माधु के शापथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा.दी. का शापथ पत्र पेशा इड जिन पर इनके बयान कराये गये । वकील वादी अब और कोई साक्ष्य पेशा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य बन्द की गई। वकील वादीगण की बहस खुली गई । वकील वादीगण ने बहस में अपना क्रिया शेता सि वादीगण की खातेदारी अराजी नम्बर 313, 315 जो वाद पत्र में वर्णित है । जिन पर प्रतिवादीगण का कब्जा है जिनकी हयये जफिया आदेश जारी है। इस पर पत्रावलीका एवं राजस्व डिकार्ड एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन कर परीक्षण किया गया परीक्षण उपरान्त वादीगण की खातेदारी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पूर्ण मौका दिनांक 5-6. 2018 पत्थरगढी के अनुसार समर्थित है। इसलिए वादीगण का वादपत्र को स्वीकार किया जाए है। वादीगण की खातेदारी अराजी नम्बर 313, 315 पर क्रिये गये खर्च कब्जे को प्रतिवादीगण का हयये जाने का आदेश दिया जाएगा डिमी पत्र भरी है। निम्निय खुले व्यापक्य में लिखा जाकर सुनाया पत्रावली फेरतल सुभाट घेजल नम्बर</p>	नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी



उपखण्ड अधिकारी  
इंगला

11/11/25

श्री न्यायालय

1. श्री बापु पिता
  2. श्री मुन्नालाल
  3. श्रीमती शायरी
  4. श्री शम्भु पिता
  5. श्री बालु पिता
  6. श्री वरदीचन्द
  7. श्री कालु पिता
  8. श्री भानीराम
  9. श्रीमती देउ
  10. श्री कनीराम
  11. श्री माधु पिता
- चित्तौडगढ

1. श्री हरिसिंह
  2. श्री प्यारा
  3. श्रीमती सोस
  4. श्री पृथ्वीराज
  5. श्री बापु पिता
  6. श्री भूमिधारी
- चित्तौडगढ

वाद पत्र अ

